



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-541/NH-53/Electric/2025-26/ 2119

Date: 06.10.2025

Invitation of Public Comments

Sub.: 4 laning of Chikhali - Tarsod from km 360.000 to km 422.700 section of NH-53 in the State of Maharashtra- Proposal for permission of crossing of 11 Kv XLPE underground cable at km 372.800-Reg.

Ref.: 1. The PD, PIU Jalgaon's Office letter No. 1221 dated 10.09.2025.
2. EE, MSEDCL, Muktainagar Div. letter No 1365 dated 01.08.2025.

This is to inform all concerned that vide their letter under Ref.2, that the M/s MSEDCL, Muktainagar Div. has submitted a proposal for the subjected work. Subsequently, the NHAI, PD, PIU-Jalgaon has recommended the above proposal vide his letter under Ref. 1 for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

- 1) The alignment / location for laying / crossing of the proposed work in the subject mentioned section is as follows:
 - 01 no of Crossing at km 372.800.
- 2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest etc.).

In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from the issuance of this Public Notice. Any comments received of the expiry of the above period / beyond the due date, will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
NNHA, "Narang Towers", 1st Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001, Maharashtra.
Tel: 0712-2520091; Email: ronagpur@nhai.org

[Signature]
06/10/2025
(ए.एस. पिपले)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचआई/आरओ/एनएजी/यूटी-541/एनएच-53/इलेक्ट्रिक/2025-26/ 2119

दिनांक: 06.10.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 के किमी 360.000 से किमी 422.700 तक चिखली-नरमोद खंड को 4 लेन का बनाना - किमी 372.800 पर 11 केवी एक्सएलपीई भूमिगत केबल को क्रॉस करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव।

संदर्भ: 1. पीडी, पीआईयू जलगांव का कार्यालय पत्र संख्या 1221 दिनांक 10.09.2025।
2. ईई, एमएसईडीसीएल, मुक्ताईनगर डिवीजन पत्र संख्या 1365 दिनांक 01.08.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेमर्स एमएसईडीसीएल, मुक्ताईनगर मंडल ने संदर्भ 2 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात, एनएचआई, पीडी, पीआईयू-जलगांव ने संदर्भ 1 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन हेतु उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

1) विषयगत खंड में प्रस्तावित कार्य के बिछाने/क्रॉसिंग के लिए संरक्षण/स्थान निम्नानुसार है:

- किमी 372.800 पर 01 क्रॉसिंग।

2) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित आदि के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित हैं। इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर, आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति/निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

एनएचआई, "नारंग टावर", प्रथम तल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर- 440 001, महाराष्ट्र।

फोन: 0712-2520091; ईमेल: ronagpur@nhai.org

06/10/2025

(एस.एस. पिम्पले)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [mansoor@nic.in]